कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0 प्रदेश
सार्वजनिक निर्माण विभाग
''सामान्य वर्ग''

पत्र संख्या :4421सा.प्र./47ए.पी.02/74 दिनांक-09.09.1982

सेवा में,

समस्त मुख्य अभियन्ता, सा0नि0वि0
समस्त अधीक्षण अभियन्ता, सा0नि0वि0
समस्त अधिशासी अभियन्ता, सा0नि0वि0/समस्त कार्य अधीक्षक, वि0नि0ई0 संगठन
निदेशक, अन्वेषणालय, सा0नि0वि0, लखनऊ

विषय:- ठेकेदारों/फर्मो को काली सूची में दर्ज करने के नियम ।

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र संख्या-562 ए.पी./47ए.पी.-2/74 दिनांक 05-09-75 (प्रतिलिपि संलग्न) का अवलोकन करे जिसके साथ उप सचिव, सा0नि0 अनुभाग-7 के पत्र संख्या 4127 /एमएस/23 सा0नि0अनु0(7) दिनांक 02-12-1974 की प्रतिलिपि एवं उसके साथ प्राप्त ठेकेदारों/फर्मो की डीबार एवं ब्लैक लिस्ट डालने के नियमों की प्रतिलिपि भेजी गई थी ।
संलग्न : उपरोक्तानुसार ।

कृते प्रमुख अभियन्ता
सा0नि0वि0

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उत्तर प्रदेश
सार्वजनिक निर्माण विभाग
''अधिप्राप्ति वर्ग''

संख्या : 562 ए.पी./47ए.पी.-2/74 दिनांक-05.09.1975

सेवा में,

समस्त अधीक्षण अभियन्ता,
अधीक्षण अभियन्ता विधुत/यांत्रिक
निदेशक, सा0नि0 विभाग, अन्वेषणालय, लखनऊ
समस्त कार्य अधीक्षक, विभागीय निर्माण संगठन,
समस्त अधिशासी अभियन्ता
अधिशासी अभियन्ता (सिविल व वि0/यॉ0)

विषय:- ठेकेदारों/फर्मो को काली सूची में दर्ज करने के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त विषय पर उप सचिव, सा0नि0 अनुभाग-7 के पत्र संख्या 4127/एमएस/23सा0नि0 अनु0(7) दिनांक 02-12-1974 की प्रतिलिपि एवं उसके साथ प्राप्त ठेकेदारों/फर्मो की डीबार एवं ब्लैक लिस्ट करने के नियमों की प्रतिलिपि प्रेषित करते हुए, यह कहना है कि, इन नियमों का कड़ाई से पालन किया जाय एवं इन्हें कान्फीडेंशल ट्रीट करते हुये इस बात का विशेष ध्यान रखे कि गोपनीयता बनी रहें ।
संलग्न : नियमों की प्रति ।

(ग0स0बिसारिया)
कृते प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि :- उप सचिव, सा0नि0 अनुभाग-7 के पत्र संख्या 4127/एमएस/23सा0नि0 अनु0(7) दिनांक 02-12-1974 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है ।

(ग0स0बिसारिया)
कृते प्रमुख अभियन्ता

संख्या : 4127/एमएस/23सा0नि0 अनु0(7)

प्रेषक,

धीरेन्द्र मोहन मिश्रा,

उपसचिव

उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता

सा0नि0 विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

सार्वजनिक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक : 02-12-74

विषय:- ठेकेदारों/फर्मो को काली सूची में दर्ज करने के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 401/एम.जी./128एम-55 दिनांक 28-09-1963 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि ठेकेदारों को काली सूची में दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में जो प्रक्रिया अपनाई जायेगी उसके सम्बन्ध में बनाये गये नियमों की प्रति संलग्न है । इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश सभी सम्बन्धित अधिकारियों को जारी कर दिये जाय और उन्हें आदेश दिये जाय कि वह इन्हें कान्फीडेन्सन ट्रीट करें । जारी किये गये आदेशों की एक प्रति शासन को भी सूचनार्थ भेज दें ।

संलग्न : उपरोक्त ।

भवदीय

ह0 धीरेन्द्र मोहन मिश्रा

उप सचिव